

शादी का झॉसा देकर शारीरिक शोषण करने के मामले मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 329/20 धारा 147/323/376/504/506 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त नाम पता दिनेश कुमार पुत्र जगदीश निवासी गौराखुर्द थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा वादिनी को शादी का झॉसा देकर, बहला-फुसला कर जबरदस्ती वादिनी का शारीरिक शोषण किया गया व अभियुक्त के परजनों द्वारा जान माल की धमकी देते हुए गाली गुप्ता दी गयी थी जिसके उपरान्त दिनांक 20-10-2020 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमे आज दिनांक 23-10-2020 को थाना महुली पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

60 किलोग्राम अवैध नीलगाय के मांस के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण नाम पता 1- उबैदुर्रहमान पुत्र अब्दुल हाफिज 2- आसिफ सूफियान पुत्र उबैदुर्रहमान निवासीगण दुल्हापार थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को 60 किलोग्राम अवैध नीलगाय के मांस के साथ गिरफ्तार करके मु0अ0सं0 636/20 धारा 9/39/51 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण - उ0नि0 श्री बीरबहादुर यादव, का0 एहतेसाम , का0 रामजी ।

अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज चाकू के साथ एक अभियुक्त नाम पता नसीब पुत्र बुलाकी बंजारा निवासी भरवलिया दूधन थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 325/20 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 01 अभियुक्ता गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्ता नाम पता मुराती देवी पत्नी रामसागर निवासी छपिया छितौना टोला केवटहिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 324/20 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1483 द्वारा दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को पहुँचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1483 को थाना को0 खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत शिवापार से इवेन्ट संख्या 00488 से कालर मार्ग दुर्घटना में दो व्यक्तियों के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 09 मिनट में घटना स्थल पर पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को पीआरवी वाहन से अस्पताल पहुँचाया गया तथा दुर्घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को सूचित किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुँचाकर उनकी जान बचाई गयी , जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ –मु0आरक्षी जितेन्द्र यादव, आ0चा0 राजन प्रसाद ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 41 वाहनो से 32500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 26-10-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 41 वाहनो से 32500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया